राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 252/2018

श्रीमती नीलम शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जयपुर, राजस्थान सरकार।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. कमलेश ढाका, व्याख्याता, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, सालासर, चुरू।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक	:	24.11.2023
अपीलार्थी की ओर से	:	श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से	:	श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर जिला गंगानगर में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.01.1990 (अनुलग्नक—2) द्वारा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा के नियम 20 के अनुसार शिक्षक ग्रेड II (क्राफ्ट) के पद नियम 1971 के अनुसार वेतनमान 1400—2600 रूपये पर हुई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30—01—1990 (अनुलग्नक—3) द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीकरणपुर में परिवर्तित कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1992 में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से कला विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। दिनांक 21—09—1992 को जारी मार्कशीट अनुलग्नक—4 पर उपलब्ध है। इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1996 में बी.एड परीक्षा की स्नातक की डिग्री हासिल की (अनुलग्नक—5)। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 15—05—1999 द्वारा उसकी सेवा पुस्तिका में उसकी उच्च योग्यता जोड़ दी (अनुलग्नक—6)। निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा आदेश दिनांक 12—10—2000 (अनुलग्नक—7) द्वारा अपीलार्थी की उच्च योग्यता भी उसकी सेवा पुस्तिका में जोड़ने की स्वीकृति दी गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27—05—2013 (अनुलग्नक—9) द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति अर्थात कमलेश ढाका को स्कूल व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर पदोन्नत किया गया, लेकिन अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया।

इसके पश्चात वर्ष 2007 में अपीलार्थी के तीसरे बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम यश शर्मा है। जन्मतिथि प्रमाणपत्र दिनांक 24–05–2010 अनुलग्नक–10 पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27–03–2017 (अनुलग्नक–11) द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के अनुसार स्कूल व्याख्याता के पद पर वर्ष 2016–2017 की रिक्तियों के विरूद्ध 9300–34800 रूपये वेतनमान पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27–03–2017 के आदेश के अनुसरण में स्कूल व्याख्याता के पद पर पदमुक्त होने एवं कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जो अनुलग्नक–12 पर उपलब्ध है। अपने पत्र में अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उसे वर्ष 2007 में तीसरा बच्चा हुआ और उन्हें नियमानुसार वर्ष 2007 में 5 में पूरे हो चुके है। इसलिए उन्हें स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए राहत दी जाये। आदेश दिनांक 01–04–2017 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शुगर मिल श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को रिलीव करने के संबंध में निदेशक को पत्र भेजा। उक्त पत्र में प्रिंसिपल ने कहा कि अपीलार्थी को दिनांक 01–06–2006 के बाद तीसरी संतान हुई, इस कारण से उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया जावे कि अपीलार्थी को स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे या विकल्प में दिनांक 27.03.2017 के पदोन्नति आदेश जिसमें अपीलार्थी की स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हुई है, की पालना में व्याख्याता स्कूल शिक्षा के सभी परिणामी लाभों के साथ पदोन्नति आदेश के अनुसरण में कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया जाए।

प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 की अनुपालना में अपीलार्थी पदोन्नति हेतु पात्र नहीं है, क्योंकि उसे दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान हुई है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को सुना।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा निवेदन किया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानों को अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 द्वारा संशोधित किया जा चुका है एवं ऐसे कार्मिक जिनके दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान हुई है, के पदोन्नति हेतु प्रावधान किये गये एवं इस अधिसूचना के क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 24.05.2023 जारी कर नवीन निर्देशों की पालना में डीपीसी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। अतः नवीन नियमों के दृष्टिगत अपील सारहीन हो गई है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 का प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैः–

"The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after 1st June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after 1st June,2002 and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this sub-rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of this sub-rule:"

अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 एवं इस क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 24.05.2023 के दृष्टिगत हस्तगत अपील सारहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य